

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now we take up the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020. Shri G. Kishen Reddy to move a Motion for consideration of the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020.

The Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, with your permission, on behalf of my senior colleague, Shri Amit Shah, I move:

"That the Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union Territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Mr. Minister, do you want to say something?

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I will speak after the Members speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Shamsher Singh Manhas to speak in Dogri.

SHRI SHAMSHER SINGH MANHAS (Jammu and Kashmir): * Sir, this Bill that has been brought here by the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Home Minister. In Jammu & Kashmir, only Urdu and English were the languages till now; these two languages were used in J&K till now. However, if we analyse the period since 1947, if we look at traditions of this region, their culture, their lifestyles, then we feel that more languages should have been included as official languages but it was not done and because it was not done so, it resulted in various problems there. If in 1947 and until now, these languages would have included as official languages properly, then many such problems would not have arisen there. Sir, in 1885 and even prior to it, Persian language was spoken and written in Jammu & Kashmir. Persian was the dominant language there and Urdu was nowhere. Similarly, Kashmiri language was also not enjoying any status. Subsequently, Persian was converted and replaced by Urdu and the real languages of Kashmir *i.e.* Kashmiri was totally ignored. After ignoring Kashmiri,

* English translation of the original speech made in Dogri.

[Shri Samsher Singh Manhas]

foreign origin languages like Arabic and Irani were utilized along with Urdu as official language, and this is the root cause of many problems that we witness in J&K today.

If this had not happened and Kashmiri had been properly spoken in Kashmir then the Kashmiri people there would have felt that this Kashmiri is my language, I want to speak and write in it and especially, it has been included in the 8th Schedule. And they should also have developed a proper script for it. As that was not done, as a result, a huge resentment took place and we see all the problems now.

Secondly, after this is the language of Jammu *i.e.* the Dogri language. There are 50 lakh dogri people who speak Dogri. It is not confined merely to Jammu but also in the neighbouring areas like Dinanagar, Himachal Pradesh, Punjab and even in Sialkot, Dogri is widely spoken as a language and the Dogri language was also completely ignored till now.

We thank and remember our former Prime Minister, Hon'ble Shri Atal Bihari Vajpayi ji who in 2001 brought our Dogri language under the ambit of 8th Schedule. But from 2004 to 2014 the type of Government that we had, our own Shri Ghulam Nabi Azad is not present here right now. I would have asked him that you also belong to the Jammu region, you were also a dogra from Jammu, and you should have got Dogri language included as official language. For all this discrimination, this segregation, this biased attitude that we all have witnessed for the last 70 years, who is responsible for this and what were the reasons. Whether the Government of the day was there only for namesake and for serving self-interests.

Shri Ghulam Nabi Azad Saab knows Kashmiri language also but he has not got Kashmiri language included there. He understands Dogri also, that too was ignored. What is the reason for this? That's why I wish if he had been here, I would have asked him about this and he would have replied as to why he did not bring this.

Today, our own ex-member of Rajya Sabha who served in Lok Sabha too, served as a Minister and he was Maharaja also, Shri Karan Singh ji who continuously led the State of J&K since 1947, even he did not think about this that Dogri should be made the official language. First of all, I would like to say that today is 23rd September, and this is the birth anniversary of Late Maharaja Shri Hari Singh Ji. A big agitation is going on in Jammu for the last few years that a holiday is announced to mark the occasion

of his birthday. This holiday needs to be celebrated as he was the ruler of erstwhile State of J&K. Whether it was Maharaja Gulab Singh ji, Maharaja Pratap Singh ji, Maharaja Ranbir Singh ji or Maharaja Hari Singh ji; he was not able to declare a holiday for any of them. The manner in which Maharaja Hari Singh tried to integrate J&K with the rest of India, the manner in which J&K acceded to India, you all have witnessed it. The person who merged J&K with India, such an intellectual personality and a tall leader, they were not able to declare even a holiday on his birthday, that's why the whole Jammu province even now feels a lot of resentment, that is why friends I would like to say that this Dogri language was implemented way back by Maharaja Ranbir Singh in his tenure. All the administrative work in the entire J&K was done in Dogri, whether it was related to administration of armed forces, revenue department or any other department. Dogri language was the main language to be used everywhere. Today we are seeing that not only in J&K but in the entire country, there is one language which is spoken by majority, it is Hindi. Everywhere, use of Hindi was encouraged but J&K remained untouched from this also. If we say that this is our mother tongue than we call Dogri as mother language that means if Hindi is our mother, then Dogri is our grandmother. The link between mother and grandmother was broken by ignoring these languages. Today we need to recall all these aspects related to our mother and grandmother which have made these things possible. Friends, for this reason I would like to thank Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Home Minister. The two languages that is Urdu and English remained visible everywhere earlier. Now by implementing and including Hindi also, an effort has been made towards national integration. And by including Dogri language, they have integrated whole province of Jammu with the mainstream and similarly by admitting Kashmiri, they have made a strong effort towards integration of Kashmir province with India. Kashmir as we say, is the diamond in our crown and by not admitting the language of that diamond, why we were ignoring it, why it has been ignored earlier. What were the reasons, what were the causes? That is why friends, I would like to inform my fellow Members, friends and my colleagues that in our country the manner in which we are moving ahead, the manner in which our languages are progressing in the same way, in Jammu and Kashmir we are admitting 5 languages as official languages. I thank Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Home Minister and Hon'ble G Krishan Reddy ji, MoS, I am referring to Home Minister and Home Ministry in the same parlance. I am expressing my gratitude towards them for the manner in which they are moving ahead and especially I would like to request again that a thought may be spared for declaration of a holiday on the birth anniversary of Maharaja Hari Singh ji and especially for Dogri of Jammu

[Shri Samsher Singh Manhas]

which is spoken by more than 50 lakh people and for Kashmiri also which is taken care of. Languages which are native and local are integral to our country and are helping the nation in its progress.

With these words, I would like to end my speech with Bharat Mata ki Jai.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

श्री उपसभापति: धन्यवाद, शमशेर सिंह मन्हास जी। श्रीमती ममता मोहंता।

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस बिल के माध्यम से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी एवं इंग्लिश भाषाओं को जम्मू-कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाएगा। अब तक प्रदेश में उर्दू एवं इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, परंतु इस बिल के माध्यम से तीन भाषाएँ - कश्मीरी, डोगरी एवं हिन्दी को जोड़ा गया है। जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग कश्मीरी, हिन्दी एवं डोगरी बोलते हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों की बहुत लंबे समय से चली आ रही डिमांड को सरकार fulfill करने जा रही है। पिछले एक वर्ष में केन्द्र सरकार ने केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में संचालित जम्मू-कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सर, जम्मू-कश्मीर हमारे भारत देश की शान है और अखंड भारत का एक अटूट अंग है। ये तीन भाषाएँ निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में और करीब लाने का जरिया बन सकती हैं। मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और इस बिल का समर्थन करती हूँ, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय नरेश गुजराल जी।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, it is unfortunate that Punjabi is not being included in this Bill as an official language in J&K. Punjabi is the richest and the oldest language of North India, with its own script Gurumukhi. The House would recall that Jammu and Kashmir was a part of Maharaja Ranjit Singh's empire. Even after him, the first Dogra Maharaja was the General of Maharaja Ranjit Singh. From that time onwards, lakhs of Punjabis have settled in Jammu and Kashmir. In the Constitution of J&K, Punjabi was there as an official language. In fact, the House would be surprised to know that the first Chief Minister of J&K was Mehr Chand Mahajan, a Punjabi. In the Census of 1971, there were 13 lakhs Punjabis settled in J&K and this language was being taught in schools along with Urdu and Hindi. Certainly, when this language is being removed or not being officially recognised, this hurts the feelings of those Punjabis who are settled there. I have personally seen in J&K that there were street signs on the roads in Punjabi up till almost 1980. I would urge the Government to reconsider this because

the language is the basis of the cultural heritage of a community. Today, this community feels hurt that this language, Punjabi, is not being included there. I would once again urge the Minister to reconsider this. Thank you very much, Sir.

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर): सर, इस सरकार का एक नारा है - "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।" हम देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से पिछले दो इलेक्शन हुए, उनका रिज़ल्ट आ गया, विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और सबका साथ भी हुआ। लेकिन जहाँ तक हमारे जम्मू-कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि इन तीन चीज़ों की कमी कहीं न कहीं जम्मू-कश्मीर में है। जम्मू-कश्मीर के लोगों का विश्वास, विकास और साथ जीतने की जरूरत है। आज जो बिल लाया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी, जो तकरीबन 52 परसेंट हैं या डोगरी हैं, इसके साथ-साथ, जिस तरह अभी गुजराल साहब ने कहा, वहाँ पर 14 परसेंट गोजरी लोग भी रहते हैं। इसी तरह से, पहाड़ी भी रहते हैं। मैं बारामूला, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। वहाँ तकरीबन दो लाख गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी लोग रहते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि विश्वास, विकास और सबका साथ, इसमें इन तीन भाषाओं, पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी को भी जोड़ा जाए, ताकि हम सब लोगों का विश्वास जीतें, तो आगे चलकर इससे वहाँ सब ठीक होगा। जिस तरह से यह बिल लाया गया, हमारे भाई ने यहाँ पर कहा कि बहुत टाइम हो गया, चाहे वहाँ डोगरी लोग थे या कश्मीरी लोग थे, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, हरेक की यही डिमांड है। सर, ज्यादा भाषण न देते हुए, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें तीन भाषाएं, पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी को भी शुमार किया जाए।

† جناب میر محمد فیاض (جموں-کشمیر) : سر، اس سرکار کا ایک نعرہ ہے - "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس"۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں جس طرح سے پچھلے دو الیکشن ہوئے، ان کا رزلٹ آ گیا، وکاس بھی ہوا، وشواس بھی ہوا اور سب کا ساتھ بھی ہوا۔ لیکن جہاں تک ہمارے جموں کشمیر کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان تین چیزوں کی کمی کہیں نہ کہیں جموں-کشمیر میں ہے۔ جموں-کشمیر کے لوگوں کا وشواس، وکاس اور ساتھ جیتنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بل لایا گیا ہے؛ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری، جو تقریباً 52 فیصد ہیں یا ڈوگری ہیں؛ اس کے ساتھ ساتھ، جس طرح ابھی گجرال صاحب نے کہا، وہاں پر 14 فیصد گوجری لوگ بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح، پہاڑی بھی رہتے ہیں۔ میں بارہمولہ، کپواڑہ ڈسٹرکٹ سے آتا ہوں۔ وہاں تقریباً دو لاکھ گوجری، پہاڑی اور پنجابی لوگ رہتے ہیں۔ میری ایک ہی درخواست ہے کہ وشواس، وکاس اور سب کا ساتھ، اس میں ان تین بھاشاؤں، پنجابی، گوجری اور پہاڑی کو بھی جوڑا جائے، تاکہ ہم سب لوگوں کا وشواس جیتیں، تو آگے چل کر اس سے وہاں سب ٹھیک ہوگا۔ جس طرح سے یہ بل لایا گیا؛ ہمارے بھائی نے یہاں پر کہا کہ بہت ٹائم ہو

†Transliteration in Urdu script.

[मीर मोहम्मद फ़ैयाज]

गیا، چاہے وہاں ڈوگری تھے اور یا کشمیری لوگ تھے، وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کی یہی ڈیمانڈ ہے۔ سر، زیادہ بھاشن نہ دیتے ہوئے، میری یہی درخواست ہے کہ یہ اس میں تین بھاشائیں، پنجابی، گوجری اور پہاڑی کو بھی شمار کیا جائے۔

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): डिप्टी चेयरमैन सर, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अच्छी प्रगति हो रही है। अभी माननीय नरेन्द्र मोदी की सरकार वहाँ की लोकल भाषा, डोगरी और कश्मीरी को ऑफिशियल दर्जा देने के लिए यह बिल लाई है। मैं इस बिल का सपोर्ट करने के लिए यहाँ बोल रहा हूँ।

"हमें अच्छी लगती है डोगरी और कश्मीरी भाषा,
और व्याप्त कश्मीर भारत में आएगा, यह है हमें आशा,
पाकिस्तान का हम बजा देंगे ताशा,
क्योंकि हमें अच्छी लगती है, डोगरी और कश्मीरी भाषा।"

सर, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ। मुझे दुख भी हो रहा है कि सामने वाली सीट्स पूरी खाली हैं। ये सामने वाले गड़बड़ करते हैं। जो उस दिन हुआ, वह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें हाउस में आना चाहिए था। जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उन्हें बाहर रहना है, बाकियों को अंदर आना चाहिए और ये नहीं आएंगे, तो उन्हें भी सस्पेंड करना होगा। कोई ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है। यह ठीक बात है। हम डोगरी भाषा और कश्मीरी भाषा का पूरा समर्थन करते हैं। जय भीम, जय भारत।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, अभी तक का इतिहास इस बात को दिखाता है कि भाषा के अभाव में सामाजिक व सशक्त समाज भी पिछड़ जाता है और भाषा ही समाज को पूर्णता प्रदान करती है। आज 'जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020' में जहाँ राजभाषा के रूप में पाँच भाषाओं को शामिल किया गया है; इसके साथ-साथ, इस बिल में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। खास तौर से, आबादी के लिहाज से वहाँ गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी, इन भाषाओं को समझने वाला आसपास का क्षेत्र, जो उसके बॉर्डर से लगता है, उनको बढ़ावा देने की भी इसमें बात की गई है। मैं इसके लिए गृह राज्य मंत्री जी को अपनी तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धारा 370 के हटने के बाद, वहाँ एससीज़ और एसटीज़, खास तौर से जो गुज्जर-बक्करवाल्स हैं, उनको जहाँ राजनीतिक आरक्षण देने का काम केन्द्र सरकार ने किया है, वहीं इसके साथ-साथ फॉरेस्ट ऐक्ट जैसे कानून का लाभ भी इन वर्गों को देने का काम हुआ है।

(श्री सभापति पीठासीन हुए।)

इस बिल के माध्यम से गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी भाषा को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की बात की गई है। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों समाजों, खास तौर से गुर्जर और बक्करवाल समाज के जो लोग हैं, उनके सशक्तिकरण का यह आधार बनेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मंत्री जी, हमारे माननीय सदस्य, नरेश जी तथा अन्य लोगों ने अभी अपनी-अपनी बातें कही हैं। पंजाबी, पहाड़ी तथा गोजरी आदि क्षेत्रीय भाषाएँ, जो पहले वहाँ उपयोग में थीं, उन भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तथा सन् 1980 से पहले की जो स्थिति थी, उसके बारे में अध्ययन करके, बाद में एक बार स्पष्टता देना जरूरी होगा, क्योंकि unnecessarily एक नया विवाद नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा इसको देख लीजिए। I just told him to keep in mind what was there before 1980, how this change has come about with regard to usage of Gojri, Pahari and also the Punjabi languages, which were spoken by a good number of people in that State, as was mentioned by Shri Naresh Gujral and other friends. Now, the Minister may kindly reply.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): महोदय, आपने जो सुझाव दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

The Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020 उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और दशकों से की जा रही उनकी माँगों का आदर करते हुए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिन्दी और इंग्लिश भाषाओं को जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ के रूप में घोषित किया जाना क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा।

महोदय, क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हुए, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सूचित किया है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू-कश्मीर की जनता ने उर्दू तथा इंग्लिश के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी और हिन्दी को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ के रूप में घोषित करने की माँग रखी है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जम्मू-कश्मीर यूटी के मेजॉरिटी लोग इन भाषाओं को बोलते और समझते हैं।

सभापति जी, सन् 1954 से जम्मू-कश्मीर में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ थीं। एक, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था, दूसरा, इंग्लिश को आधिकारिक व्यवहार, ऑफिशियल वर्क्स के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी में उर्दू भाषा बोलने वालों की संख्या 19,112 थी, जो कि कुल जनसंख्या का 0.16 परसेंट है। वह लगभग सन् 1954 से लेकर आज तक वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लीगल तथा लेजिस्लेटिव क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले सात दशकों में जम्मू-कश्मीर में स्थापित ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ को बोलने वालों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम थी।

[श्री जी. किशन रेड्डी]

जम्मू-कश्मीर प्रांत में 74 परसेंट जनता कश्मीरी और डोगरी भाषा बोलती है। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाली जनसंख्या 53.26 परसेंट, डोगरी बोलने वालों की जनसंख्या 20.64 परसेंट है। अगर हम इन दोनों भाषाओं को बोलने वाली जनसंख्या को देखें, तो वह 74 परसेंट है। जम्मू-कश्मीर स्टेट की जनता की यह पुरानी माँग है कि कश्मीरी और डोगरी भाषा को राजभाषाओं के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, जनता की भावनाओं को देखते हुए इस संसद के अंदर, संसद के बाहर, जम्मू-कश्मीर के अंदर, जम्मू-कश्मीर के बाहर, जम्मू-कश्मीर की असेम्बली के अंदर और जम्मू-कश्मीर की असेम्बली के बाहर समय-समय पर यह मांग आती रही है, मगर 70 सालों से 74 परसेंट भाषा बोलने वाली जम्मू-कश्मीर की जनता को वंचित किया है। यह दुःख की बात है, परिवार राज करने वालों ने कभी भी जनता की आवाज़ को, जनता की आकांक्षा को गौरव नहीं दिया, उनकी बात कभी नहीं सुनी, इसीलिए अन्याय किए गए वर्गों के साथ और भाषा के ऊपर जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए वर्ष 2000 की जनगणना के आधार पर 1 परसेंट बोली जाने वाली उर्दू भाषा को साथ-साथ दर्जा दिया गया है। कश्मीर में हर मज़हब के लोग, चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों और अन्य मज़हब के लोग भी कश्मीरी भाषा बोलते हैं। 'कश्मीरियत-इंसानियत' एक नारा भी है, मगर वहाँ की भाषा को राजभाषा का दर्जा न देते हुए अपमान किया गया है। 70 साल की इस गलती और इस अन्याय को सुधारने के लिए मोदी सरकार आज इस प्रस्ताव को लायी है।

सभापति महोदय, Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020 इस असंतुलन को दूर करने का एक प्रयास है, जिसके पारित होने से आज के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू-कश्मीर की 98 परसेंट आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार प्राप्त होगा। यह बहुत खुशी की बात है। महोदय, आज मैंने कश्मीरी भाषा के बारे में बताया, डोगरी भाषा के बारे में बताया है, उर्दू भाषा के बारे में भी बताया है और अब मैं हिन्दी भाषा के बारे में भी बताऊंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान यूनियन टेरिटरी जम्मू-कश्मीर में हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या 2.30 परसेंट है। आर्टिकल 343 (1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि से हिन्दी होगी, क्योंकि भारत का संपूर्ण संविधान अब जम्मू-कश्मीर संघ के राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है। इसलिए प्रस्तावित Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020 में हिन्दी को भी शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल 348, अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों आदि में भी सभी कार्यवाही इंग्लिश भाषा में होती है। इसीलिए इंग्लिश भाषा को प्रस्तावित विधेयक में एक भाषा के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है। अतः इस यूनियन टैरीटरी में प्रशासक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए इंग्लिश भाषा के प्रयोग का निर्णय जारी हुआ है। इसके लिए हिन्दी भाषा को भी इस प्रस्ताव में लाए हैं। सभापति महोदय, आपने जो सुझाव दिया है, उसके बारे में भी सरकार ने सोचा है। जम्मू-कश्मीर में पांच आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय

भाषाओं का विकास करने के लिए भारतीय भाषाओं को केंद्रीय संस्थान से जानकारी प्राप्त हुई है। हमें प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना तथा उनके विकास के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे जैसे Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages मज़बूत करने के लिए प्रावधान इस प्रस्ताव में पहली बार लाए गए हैं।

महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में पांच ऑफ़िशियल भाषाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए जम्मू-कश्मीर में ऑफ़िशियल भाषाओं के साथ-साथ अन्य रीज़नल भाषाओं को बढ़ावा देने तथा उनके विकास के लिए खास प्रावधान इस बिल में रखे गए हैं। महोदय, इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए कुछ खास institutional structures जैसे जम्मू-कश्मीर में कला, संस्कृति तथा भाषाओं पर आने वाले दिनों में काम करने के लिए अकादमी को और मज़बूत करने और इस प्रस्ताव के द्वारा पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी भाषाओं का विकास करने के लिए विशेष कदम उठाने के लिए प्रावधान सम्मिलित किए हैं। मैं केंद्र सरकार की तरफ से आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी की ओर से पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी भाषा का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। इस बिल के द्वारा इन तीन भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे प्रावधान किए गए हैं। आदरणीय नरेश गुजराल साहब ने अभी बताया कि वर्ष 2011 सेंसस के आधार पर, खासकर पंजाबी भाषा बोलने वाली जनता जम्मू-कश्मीर प्रांत में 1.78 परसेंट, 2 लाख 16 हजार के करीब है। इसलिए पंजाबी भाषा को प्राथमिकता देते हुए, गोजरी, पहाड़ी भाषा को भी साथ-साथ, हर विषय पर आगे ले जाने के लिए, मोदी सरकार का commitment है। मोदी जी की सरकार पंजाब के लोगों के साथ, पंजाबी भाषा में बात करने वालों के साथ राजनीति को नहीं जोड़ती है मगर दिल के साथ, commitment के साथ जोड़ती है। यह सरकार पंजाबी लोगों के साथ समर्पित भाव से सेवा करने के लिए सदैव तैयार है।

सभापति जी, आज new Education Policy, 2020 में भी प्रांतीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन करने के लिए प्रावधान किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में जितनी भी रीज़नल लैंग्वेजेज़ हैं, हम सभी क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा उनको प्रोत्साहन देंगे। मैं इसी के साथ The Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020, का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों से रिक्वेस्ट करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

“That the Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union Territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri G. Kishan Reddy to move that the Bill be passed.

श्री जी. किशन रेड्डी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, before going to the final remarks by the Chair, we have two Bills left - The Appropriation (No.3) Bill, 2020, and the Appropriation (No.4) Bill, 2020. These are Finance-related Bills. They can be taken up together. Anybody, who is interested to speak, may do so. I don't have any names.

***The Appropriation (No.3) Bill, 2020**

and

***The Appropriation (No.4) Bill, 2020**

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I move:

That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2017, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

I also move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-2021, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: The Appropriation (No.3) Bill, 2020, and the Appropriation (No.4) Bill, 2020, are now open for discussion. The hon. Members said that these can be passed without discussion. So, can we go ahead?

* Discussed together.